पत्रांक :– 7/स्था01–08/2012 654 /

शिक्षा विभाग, बिहार।

प्रेषक,

एम० रामचंद्रुडु,
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0)।

पटना, दिनांक 01/06/2016 /

विषयः– **34540 कोटि के शिक्षकों का अन्तरजिला एवं जिला के अंदर स्थानान्तरण के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि याचिका संख्या–13966/2013 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–18.03.2015 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–325 दिनांक–23.11.2015 द्वारा राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालयों में 34540 कोटि अन्तर्गत नियुक्त महिला एवं पुरूष शिक्षकों का जिला के अन्दर अथवा जिला के बाहर एकल स्थानान्तरण नहीं करने का नीतिगत निर्णय लिया गया था।

उक्त संदर्भ में विगत बिहार विधान सभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के क्रम में दिए गए वक्तव्य के आलोक में पूर्व के उक्त निर्णय पर सरकार के स्तर पर समीक्षा करते हुए 34540 कोटि के महिला एवं पुरूष शिक्षकों के अन्तरजिला स्थानान्तरण हेतु निम्नांकित नीतिगत निर्णय लिया गया हैः–

(1) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के ज्ञापांक–1243 दिनांक–08.10.2014 में निहित निर्देश के अनुसार उक्त कोटि के सहायक शिक्षक जिनकी सेवा अवधि दिनांक–30.06.2016 को एक वर्ष या उससे कम हो उनसे एकल अन्तरजिला स्थानान्तरण का विधिवत प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।

(2) विकलांग कोटि के सहायक शिक्षकों एवं महिला शिक्षकों को अन्तरजिला एकल स्थानान्तरण का अवसर इस शर्त पर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है कि विकलांग कोटि के सहायक शिक्षक अथवा महिला शिक्षक के द्वारा जिला के अन्दर अथवा जिला के बाहर एकल/पारस्परिक स्थानान्तरण का उपभोग पूर्व में कर लिया गया हो तो उन्हें यह दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा।

(3) यदि किसी पुरूष शिक्षक की पत्नी राज्य सरकार में किसी पद पर कार्यरत हो तो पत्नी के कार्यस्थल वाले जिला में सम्बन्धित शिक्षक से एकल अन्तरजिला स्थानान्तरण का प्रस्ताव विधिवत प्राप्त किया जाय। पंचायती राज संस्थान/नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों एवं संविदा पर कार्यरत रहने के मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु दिनांक–30.06.2016 की तिथि में जिला संवर्ग में सहायक शिक्षकों की विषयवार (सामान्य, उर्दू, शारिरीक प्रशिक्षित) उपलब्ध रिक्ति की विवरणी तथा उक्त कोटि के शिक्षकों के एकल अन्तरजिला स्थानान्तरण संबंधी प्राप्त प्रस्ताव निदेशालय को निश्चित रूप से दिनांक–15.06.2016 तक उपलब्ध कराया जाय। स्थानान्तरण संबंधी प्रस्ताव भेजते समय निम्नलिखित निर्देश का अवश्य पालन किया जायः–

(क) अंतर जिला स्थानान्तरण से संबंधित आवेदन विहित प्रपत्र (संलग्न) में प्राप्त कर संगत

प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति (जो नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा हो) एवं दो स्वअभिप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ के साथ निदेशालय स्तर पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। निदेशालय स्तर पर उक्त स्थानान्तरण के प्रस्ताव के अग्रसारण पत्र में 34540 कोटि के शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनका ओ0 पी0 आई0 डी0 संख्या स्पष्ट रूप से संसूचित करते हुए उसकी सॉफट कॉपी (सी0 डी0 सहित) उक्त निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराया जाय।

(ख) अंतर जिला स्थानान्तरण हेतु केवन उन्हीं मामलों पर विचार किया जायेगा जिनके आवेदन पत्र में नियुक्ति का विषय यथा सामान्य, उर्दू, शारीरिक प्रशिक्षित अंकित हो। अतः आवेदनों को अग्रसारित करते समय सामान्य/उर्दू/शारीरिक प्रशिक्षित इत्यादि कोटि स्पष्ट करेंगें।

(ग) साथ ही वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति संदिग्ध हो अथवा जिनकी नियुक्ति विभाग द्वारा अमान्य/अवैध घोषित संस्थानों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर की गयी हो, से संबंधित अंतर जिला स्थानान्तरण का प्रस्ताव नहीं भेजा जाय। अन्यथा की स्थिति में संबंधित सहायक शिक्षक के साथ–साथ आपके विरूद्व भी विधिसम्मत कार्रवाई करने की बाध्यता होगी।

(घ) उपर्युक्त कंडिका–2 में निहित शर्त्त की जांच कर जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक मामले में यह प्रमाण पत्र देंगें कि संबंधित शिक्षक द्वारा जिला के अन्दर अथवा जिला के बाहर एकल/पारस्परिक स्थानान्तरण का उपभोग पूर्व में नहीं किया है।

उपर्युक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–325 दिनांक–23.11.2015 द्वारा निर्गत आदेश को उक्त हद तक संशोधित माना जाय।

विश्वासभाजन,

(एम0 रामचंद्रुडु)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में नियुक्त महिला / पुरूष शिक्षकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रपत्र।

भाग—क

1. शिक्षक / शिक्षिका का नाम :—
2. विद्यालय का नामः—
3. प्रखण्ड का नामः—
4. जिला का नामः—
5. नियुक्ति पत्र का पत्रांक / दिनांकः—
6. विद्यालय में योगदान की तिथिः—
7. जन्म तिथिः—
8. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित 34540 की सूची में

    (i) वरीयता क्रमांकः—

    (ii) OP ID:—

    (iii) शिक्षक क्षेणी (सामान्य / उर्दू / शारीरिक प्रशिक्षित):—

भाग—ख

1. जिस जिले में स्थानान्तरण चाहते हैं, उस जिले का नामः—

    1. ....2. ....3...................................

2. स्थानान्तरण चाहने का कारणः—

    ....

    ....

3. अन्तर जिला स्थानान्तरण होने पर पूर्व के जिले की वरीयता खोने पर सहमतिः—....................

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथिः—

भाग—ग

1. प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुआ है या नहीं?...
2. आरोप की स्थितिः—...
3. विद्यालय का कोई प्रभार / बकाये राशि की स्थितिः—...
4. स्थानान्तरण के लिए अनुशंसाः—..
5. आवेदक द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का उपभोग किया गया है या नहीं?...................................

(नोटः— सेवा पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

प्रधानाध्यापक / नियंत्री पदाधिकारी

जिला शिक्षा पदाधिकारी